



कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक  
**उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड**  
एस.ए.आई. काम्पलेक्स, सी-25, कोर्ट आफ बार्ड, बेतिया हाता, गोरखपुर। फोन-0551-2209777

दीवाली  
धमाका

औद्योगिक क्षेत्र मऊ, खलीलाबाद एवं देवरिया में  
औद्योगिक भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

दीवाली  
धमाका

| औद्योगिक क्षेत्र का नाम    | उपलब्ध भूखण्डों का विवरण क्षेत्रफल |        | प्रीमियम दर (प्रति वर्गमी०) लोकेशन चार्ज अतिरिक्त | आवेदन पत्र के साथ देय धनराशि |              | आबंटन तिथि से 30 दिनों के अन्दर देय धनराशि | अवशेष धनराशि हेतु ब्याज सहित देय छमाही किश्तों की संख्या | भूमि उपयोग | आवेदन हेतु अन्तिम तिथि | आबंटन प्रक्रिया    |
|----------------------------|------------------------------------|--------|---|------------------------------|--------------|--|--|------------|------------------------|--------------------|
|                            | क्षेत्रफल श्रेणी (वर्गमी० में)     | संख्या |   | प्रोसेसिंग फीस (रु. में)     | धरोहर धनराशि |  |  |            |                        |                    |
| मऊ जनपद-मऊ                 | 300 से 800                         | 03     | 2900.00   | 2000.00                      | 10%          | 15%  | 12   | औद्योगिक   | 15.11.14               | निगम के नियमानुसार |
|                            | 1800                               | 01     |   |                              |              |  |  |            |                        |                    |
|                            | 2001 से 3070                       | 02     |   |                              |              |  |  |            |                        |                    |
| खलीलाबाद जिला-संत कबीर नगर | 800                                | 01     | 1500.00   | 1000.00                      | 5%           | 5%   | 10   | औद्योगिक   | 15.11.14               | निगम के नियमानुसार |
|                            | 1500 से 1800                       | 02     |   |                              |              |  |  |            |                        |                    |
|                            | 2001 से 2025                       | 01     |   |                              |              |  |  |            |                        |                    |
| देवरिया जिला- देवरिया      | 800 से 1000                        | 10     | 1100.00   | 1000.00                      | 5%           | 5%   | 10   | औद्योगिक   | 15.11.14               | निगम के नियमानुसार |
|                            | 1500 से 2000                       | 03     |   |                              |              |  |  |            |                        |                    |
|                            | 2001 से 2200                       | 04     |   |                              |              |  |  |            |                        |                    |

**नियम एवं शर्तें-** 1. भूखण्डों की संख्या घट बढ़ सकती है। 2. औद्योगिक क्षेत्र देवरिया एवं खलीलाबाद के औद्योगिक भूखण्डों हेतु मूल्य रु० 105/- प्रति आवेदन पत्र औद्योगिक क्षेत्र मऊ हेतु मूल्य रु० 525/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित है, जिसे क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 17.10.2014 से दिनांक 15.11.2014 तक पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। 3. आवेदन पत्र के साथ हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट (ले आउट प्लान सहित) व अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ पूर्ण आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में दिनांक 15.11.2014 तक कार्यालय समय में जमा किये जा सकते हैं। अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। 4. निगम प्रबन्धन को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को अथवा समस्त आवंटन प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा व इस सम्बन्ध में आवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। 5. आवंटन पत्र निर्गत करने की तिथि को भूमि की प्रचलित दरें ही लागू होंगी। 6. आवंटन से सम्बन्धित अन्य सूचनायें एवं भूखण्डों का विवरण क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर तथा निगम के वेबसाइट [www.upsidc.com](http://www.upsidc.com) से प्राप्त की जा सकती है। 7. भूखण्ड की संख्या/क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है। 8. आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरान्त अर्ह आवेदकों को आवंटन समिति द्वारा 2000 वर्गमी० तक के भूखण्डों का आवंटन स्क्रीनिंग के पश्चात् लाटरी द्वारा तथा 2000 वर्ग मी० से अधिक के भूखण्डों का आवंटन मुख्यालय स्तर की आवंटन समिति द्वारा किया जायेगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक